

कैबिनेट ने अपराध एवं आपराधिक ट्रैकिंग नेटवर्क एवं प्रणाली परियोजना के कार्यान्वयन के विस्तार को एक साल तक मंजूरी दी

Posted On: 05 APR 2017 9:05PM by PIB Delhi

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमण्डलीय समिति ने अपराध एवं आपराधिक ट्रैकिंग नेटवर्क एवं प्रणाली यानी क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम (सीसीटीएनएस) परियोजना के कार्यान्वयन को 31 मार्च 2017 के बाद एक और साल तक विस्तार देने के केंद्रीय गृहमंत्रालय के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।

यह विस्तार परियोजना के शेष बचे उद्देश्यों को व्यापक रूप से प्राप्त करने में मदद करेगा। परियोजना के रखरखाव का चरण 2022 तक जारी रहेगा, जैसा कि पहले ही अनुमोदित किया गया था। इस परियोजना का कुल परिव्यय 2,000 करोड़ रुपये है। अभी तक इस परियोजना के लिए 1,550 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, इनमें से 2016-17 तक पूरी राशि का उपयोग कर लिया गया है।

इंटर ऑपरेटिव आपराधिक न्याय प्रणाली (आईसीजेएस) का उद्देश्य सीसीटीएनएस परियोजना को पहली बार ई-कोर्ट एवं ई-जेल डाटाबेस और आपराधिक न्याय प्रणाली के अन्य पिलर (खंभों) जैसे फॉरेंसिक, अभियोजन, बालसुधार गृह तथा अपराधियों के देशव्यापी फिंगर प्रिंट डाटाबेस के साथ जोड़ना है। यह एकीकरण डेस्कटॉप डैशबोर्ड के जरिए न्यायपालिका, पुलिस और जेलों तक पहुंच उपलब्ध कराकर प्राप्त किया जा सकता है ताकि त्वरित तथा सूचना देने वाले फैसले लिए जा सकें और जांच में सहयोग किया जा सके।

सीसीटीएनएस परियोजना का प्रभाव इस प्रकार होगा:

- सभी राज्यों एवं केंद्र में सिटीजन पोर्टल, स्व-सेवा (सेल्फ सर्विस) मोड में पुलिस की मदद उपलब्ध कराने, शिकायतों का ऑनलाइन पंजीकरण एवं लापता लोगों तथा चोरी हुई चीजों की खोज एवं रिपोर्टिंग में पारदर्शिता और तेजी लाएगा।
- संपूर्ण राष्ट्रीय अपराध एवं आपराधिक डाटाबेस पर देशव्यापी खोज की जा सकेगी। यह किसी भी जांचकर्ता अधिकारी के लिए पूरे देश में सुलभ होगी।
- अंतर-राज्यीय आपराधिक गतिविधियों पर बेहतर तरीके से नजर रखने के पुलिस को क्षेत्रीय भाषाओं में भी खोज की सुविधा उपलब्ध होगी।
- देश के सभी पुलिस स्टेशनों के लिए विश्वसनीय नेटवर्क कनेक्टिविटी।
- राष्ट्रीय स्तर पर अपराध विश्लेषण प्रकाशित किए जाएंगे, जिनकी संख्या बढ़ने से नीति एवं कानून बनाने वालों को डाटा पर आधारित समयबद्ध कार्रवाई करने और उचित नीतिगत हस्तक्षेप करने में मदद होगी।
- आधार, जनसंख्या रजिस्टर, भूतल परिवहन मंत्रालय की वाहन परियोजना, पासपोर्ट सेवा और राष्ट्रीय आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रणाली परियोजना जैसी विभिन्न ई-गवर्नेंस परियोजनाओं के एकीकरण से इन व्यक्तिगत प्रणालियों से मिलने वाला लाभ में बढोतरी होगी और तालमेल में सुधार आएगा। यह विभिन्न प्रकार के पुलिस सत्यापन अनुरोधों और जांच में तेजी लाएगा।
- बायोमेट्रिक आधारित पहचान, ट्रेंड एवं पैटर्न विश्लेषण आदि उन्नत सुविधाओं को उच्च तकनीक वाली जांच क्षमता को बढ़ाने में शामिल किया जाएगा।
- आपराधिक न्याय प्रणाली के सभी पिलर के लिए उपलब्ध होने वाले आईसीजेएस को इसकी सर्विस डिलीवरी सुधारने में मदद मिलेगी।

सीसीटीएनएस परियोजना के तहत उपलब्धियां-

पिछले एक वर्ष के दौरान इस परियोजना द्वारा निम्नलिखित महत्वपूर्ण परिणाम प्राप्त किए गए:

- देश में 83 प्रतिशत से अधिक पुलिस स्टेशन सीसीटीएनएस सॉफ्टवेयर के माध्यम से 100 प्रतिशत प्राथमिकी दर्ज कर रहे हैं।
- आज तक सीसीटीएनएस प्रणाली में 120 लाख एफआईआर दर्ज की गई हैं। 2004 के बाद से लिगेसी क्राइम रिकॉर्ड भी सीसीटीएनएस डाटाबेस में माइग्रेट कर दिए गए हैं। राष्ट्रीय अपराध डाटाबेस में अब लगभग सात करोड़ रिकॉर्ड उपलब्ध हैं।
- 31 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों ने अपने पोर्टल लांच कर दिए हैं। ये शिकायतों के पंजीकरण, पूर्व में अपराध करने वालों अथवा व्यक्तियों/संपत्तियों की मुकदमेबाजी का सत्यापन, किसी कार्यक्रम के लिए पुलिस से लॉ एंड ऑर्डर की अनापत्ति प्राप्त करना, लापता व्यक्ति की खोज, लावारिस शवों का मिलान, वाहन संबंधी पृष्ठताछ, पासपोर्ट जारी करने के लिए सत्यापन आदि सेवाएं उपलब्ध करा रहे हैं।
- आईसीजेएस डैशबोर्ड को एकीकृत सीसीटीएनएस ने ई-कोर्ट और ई-जेल के साथ कार्यान्वित किया है। इसे चुनिंदा केंद्रीय जांच एजेंसियों के साथ परीक्षण के आधार पर लांच किया गया है। अभियोजन और फॉरेंसिक के लिए वी डॉट सॉफ्टवेयर विकसित किया गया है और इस समय बिहार, तेलंगाना और पुडुचेरी में इसका प्रयोग किया जा रहा है।

2009 में मूलतः मंजूर की गई परियोजना का लक्ष्य है:

- a) नागरिकों को पुलिस से संबंधित विभिन्न वेब आधारित सेवाएं मुहैया कराएं।
- b) एक राष्ट्रीय डाटाबेस के माध्यम से किसी व्यक्ति के अपराध और आपराधिक रिकॉर्ड की अखिल भारतीय खोज की सुविधा प्रदान करना।
- c) नीतिगत हस्तक्षेप को सूचित करने के लिए राज्य और केंद्रीय स्तर पर अपराध और आपराधिक रिपोर्ट तैयार करना और
- d) कंप्यूटरीकृत पुलिस प्रक्रियाएं।

वर्ष 2015 में इंटर-ऑपरेटिव आपराधिक न्याय प्रणाली (आईसीजेएस) के लिए एक मूल मंच स्थापित करने का एक अतिरिक्त उद्देश्य इस परियोजना में जोड़ा गया था।

AKT/VBA/SH/AS

(Release ID: 1487224) Visitor Counter : 19

